संख्या-481/2025/254 के-2/22-3-2025-17(396)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2025

विषयः- जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिलशाद पुत्र श्री शफीक, निवासी जनपद-मुरादाबाद, वर्तमान जनपद-संभल की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिलशाद पुत्र श्री शफीक, जो ग्राम-फिरोजपुर, थाना-नखासा, जनपद-मुरादाबाद, वर्तमान जनपद-संभल का निवासी है। बन्दी ने 05 महीने पहले रानी से कोर्ट मैरेज की थी, रानी उससे पहले आबिद के साथ पत्नी के रूप में रहती थी, जिससे एक लड़की मंतशा उम्र-05 वर्ष है। रानी के पहले पति आबिद से तीन बच्चे हैं, आबिद शादी के बाद बन्दी के घर कई बार आया और रानी को ले जाने हेतु धमकी दी तथा कहता था कि तू मेरे साथ नहीं रही तो मै तुम्हें दिलशाद के साथ भी नहीं रहने दूंगा। दिनांक 20/21.08.2010 की रात्रि करीब 02:30 बजे आविद दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ आ गया और वादी व वादी के परिवार के लोगों को एक कमरे में बन्द कर दिया व लड़के सोनू व पत्नी की हत्या करके भाग गये। विवेचना के दौरान अभियुक्त आबिद की नामजदगी झूठी पायी गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त दिलशाद एवं शमशाद के विरूद्ध साक्ष्य संकलित हुए। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-66/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-10, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 18.10.2024 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.12.2024 तक बंदी की आयु 40 वर्ष 01 माह 06 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, संभल द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने के कारण समाज में व्यापक प्रभाव होने, रिहा होने पर अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, गलत आचरण का व्यक्ति होने, शान्ति व्यवस्था भंग होने, संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बन्दी द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिलशाद पुत्र श्री शफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिलशाद (बंदी संख्या-1165/24) पुत्र श्री शफीक, निवासी जनपद-मुरादाबाद, वर्तमान जनपद-संभल के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद/संभल।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 481/2025/254 के-2/22-3-2025-17(396)/2025

दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिलशाद पुत्र श्री शफीक, जो ग्राम-फिरोजपुर, थाना-नखासा, जनपद-मुरादाबाद, वर्तमान जनपद-संभल का निवासी है। बन्दी ने 05 महीने पहले रानी से कोर्ट मैरेज की थी, रानी उससे पहले आबिद के साथ पत्नी के रूप में रहती थी, जिससे एक लड़की मंतशा उम्र-05 वर्ष है। रानी के पहले पति आबिद से तीन बच्चे हैं, आबिद शादी के बाद बन्दी के घर कई बार आया और रानी को ले जाने हेतु धमकी दी तथा कहता था कि तू मेरे साथ नहीं रही तो मै तुम्हें दिलशाद के साथ भी नहीं रहने दूंगा। दिनांक 20/21.08.2010 की रात्रि करीब 02:30 बजे आविद दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ आ गया और वादी व वादी के परिवार के लोगों को एक कमरे में बन्द कर दिया व लड़के सोनू व पत्नी की हत्या करके भाग गये। विवेचना के दौरान अभियुक्त आबिद की नामजदगी झूठी पायी गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त दिलशाद एवं शमशाद के विरूद्ध साक्ष्य संकलित हुए। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-66/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-10, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 18.10.2024 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.12.2024 तक बंदी की आयु 40 वर्ष 01 माह 06 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, संभल द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने के कारण समाज में व्यापक प्रभाव होने, रिहा होने पर अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, गलत आचरण का व्यक्ति होने, शान्ति व्यवस्था भंग होने, संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बन्दी द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिलशाद पुत्र श्री शफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in